Gyanvividha, Vol.-2; Issue-2 (Apr.-June) 2025 : PP-161-165

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-2 (Apr.-June) 2025
Page No.- 161-165
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

1. गौतम सागर राणा
शोधार्थी, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार.

2. प्रो. (डॉ.) पवन कुमार
शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार.

Corresponding Author :

गौतम सागर राणा
शोधार्थी, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार.

भारत में मनरेगा योजना : कार्यान्वयन की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक कुशलता

1. प्रस्तावना एवं नीतिगत पृष्ठभूमि : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कानूनी ढांचा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्याप्त असमानता, प्रवासन और मौसमी बेरोजगारी को दूर करने में इस योजना ने एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से, मनरेगा केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार-आधारित वैधानिक व्यवस्था है। यह नीति विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर टिकी हुई है, जहां पंचायती राज संस्थाओं को योजना के नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतिगत स्तर पर इस योजना का ढांचा अत्यंत सुदृढ़ दिखाई देता है, परंतु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इसके क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत अत्यधिक जटिल है। प्रशासनिक कुशलता और जमीनी चुनौतियों के बीच का अंतराल इस योजना के वांछित परिणामों को प्रभावित करता है।

2. शोध के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली : इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण अंचलों, विशेषकर बिहार और उत्तर भारत के पिछड़े जिलों में मनरेगा के प्रशासनिक ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। शोध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की वास्तविक दर और मांग-पूर्ति के अंतर का विश्लेषण करना।

वित्तीय प्रबंधन, विशेष रूप से मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी और तकनीकी बाधाओं का अध्ययन।

पंचायती राज संस्थाओं, प्रखंड स्तर के अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय की प्रभावशीलता की जांच करना।

भ्रष्टाचार, बिचौलियों की भूमिका और फर्जी जॉब कार्ड जैसी जमीनी विसंगतियों की पहचान करना।

प्रस्तुत शोध मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के प्रतिवेदनों तथा विभिन्न अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध आलेखों से संकलित किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण पूरी तरह से गुणात्मक और तार्किक पद्धति पर आधारित है।

3. प्रशासनिक ढांचा और संस्थागत समन्वय : मनरेगा का प्रशासनिक तंत्र त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ समानांतर रूप से कार्य करता है। इसकी संरचना को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

प्रशासनिक स्तर	मुख्य प्राधिकारी	प्रमुख उत्तरदायित्व और कार्य
ग्राम पंचायत स्तर	मुखिया / ग्राम रोजगार सेवक	जॉब कार्ड पंजीकरण, कार्य की मांग प्राप्त करना, ग्राम सभा द्वारा योजनाओं का चयन।
प्रखंड (ब्लॉक) स्तर	कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति, ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय, कोष का आवंटन।
जिला स्तर	जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीएम)	संपूर्ण जिले की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति, निधि प्रबंधन, जिला स्तरीय अनुश्रवण।
राज्य स्तर	राज्य रोजगार गारंटी परिषद	नीति निर्धारण, राज्य अंश का आवंटन, सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का संचालन।

इस प्रशासनिक ढांचे में संस्थागत समन्वय की भारी कमी देखी जाती है। ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी मानव संसाधन, जैसे कनीय अभियंताओं और ग्राम रोजगार सेवकों की अत्यधिक कमी है। एक-एक रोजगार सेवक को एक से अधिक पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ता है, जिससे कार्यों के मापन और तकनीकी स्वीकृति में अनावश्यक देरी होती है। प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों (मुखिया) के बीच अक्सर प्रशासनिक खींचतान बनी रहती है, जिससे योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत: प्रमुख चुनौतियां : नीतिगत प्रावधानों और व्यावहारिक धरातल के बीच का अंतर मनरेगा की सबसे बड़ी विफलता का कारण बनता जा रहा है। जमीनी स्तर पर विद्यमान चुनौतियों को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत रेखांकित किया जा सकता है:

4.1 मजदूरी भुगतान में विलंब और तकनीकी जटिलताएं : अधिनियम के अनुसार, श्रमिकों को कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए। यदि भुगतान में देरी होती है, तो वे मुआवजे के हकदार होते हैं। परंतु, वास्तविक स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन प्रणाली (नेफम्स) के लागू होने के बाद से भुगतान की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति, बैंकों में तकनीकी खामियां और आधार लिंकेज की

विसंगतियों के कारण लाखों श्रमिकों का भुगतान महीनों तक अटका रहता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 23 प्रतिशत मामलों में मजदूरी भुगतान में 30 दिनों से अधिक का विलंब देखा गया है।

4.2 एक सौ दिनों के रोजगार की गारंटी बनाम वास्तविक उपलब्धि : यद्यपि कानून 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रति परिवार औसत रोजगार का आंकड़ा कभी भी 55 दिनों से ऊपर नहीं जा सका है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है:

वित्तीय वर्ष	प्रति परिवार औसत रोजगार (दिनों में)	100 दिन पूर्ण करने वाले परिवारों का प्रतिशत
2020-2021	52	8.4
2021-2022	50	7.2
2022-2023	48	6.1
2023-2024	51	6.9
2024-2025	47	5.8

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना अपने मूल वैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं रही है। मांग के अनुरूप बजट का समय पर आवंटित न होना और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निष्क्रियता इसके मुख्य कारण हैं।

4.3 मशीनरी का अवैध प्रयोग और ठेकेदारी प्रथा : मनरेगा के नियमों के अनुसार, अकुशल शारीरिक श्रम को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों और भारी मशीनों (जैसे जेसीबी) का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। श्रम-सामग्री अनुपात को 60:40 के स्तर पर बनाए रखना अनिवार्य है। परंतु, जमीनी हकीकत यह है कि अनेक पंचायतों में प्रभावशाली व्यक्तियों और बिचौलियों द्वारा मशीनों से कार्य करा लिया जाता है और मस्टर रोल में फर्जी श्रमिकों के नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। इससे वास्तविक भूमिहीन और जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ता है।

4.4 फर्जी जॉब कार्ड और मस्टर रोल में हेराफेरी : प्रशासनिक शिथिलता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 'भूतिया श्रमिक' (ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं या जो गांव छोड़कर जा चुके हैं) के नाम पर जॉब कार्ड जारी रखने की प्रवृत्ति पाई गई है। मस्टर रोल (उपस्थिति पत्रक) का डिजिटलीकरण होने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर साठगांठ करके फर्जी हाजिरी लगाने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसके कारण योजना का धन उन लोगों तक पहुंच जाता है जो श्रम नहीं करते, और वास्तविक पात्र श्रमिक हाशिए पर रह जाते हैं।

5. बजटीय आवंटन एवं वित्तीय प्रबंधन का संकट : मनरेगा एक मांग-संचालित योजना है, अर्थात जब भी कोई श्रमिक काम मांगेगा, सरकार को धन उपलब्ध कराना होगा। परंतु, व्यवहार में केंद्र सरकार द्वारा बजटीय आवंटन अक्सर सीमित कर दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्षों के मध्य में ही कई राज्यों का वित्तीय कोष नकारात्मक (निगेटिव बैलेंस) हो जाता है। जब राज्यों के पास धन उपलब्ध नहीं होता, तो कार्यक्रम अधिकारी तकनीकी रूप से श्रमिकों की मांग दर्ज करना ही बंद कर देते हैं, ताकि बेरोजगारी भत्ते की देनदारी से बचा जा सके। यह स्थिति अधिनियम की मूल भावना पर गहरा आघात करती है।

6. सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की स्थिति : मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को एक अनिवार्य वैधानिक उपकरण बनाया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम

सभा के सदस्यों द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। परंतु, अधिकांश राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण इकाइयां स्वायत्त रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। उन्हें समय पर वित्तीय अनुदान नहीं मिलता और उनके द्वारा खोजी गई विसंगतियों पर जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। इसके कारण सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिक कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है।

7. प्रशासनिक कुशलता में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव : मनरेगा के क्रियान्वयन को पारदर्शी, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं:

मजदूरी भुगतान प्रणाली का सरलीकरण: आधार-आधारित जटिलताओं को दूर किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय सहकारी बैंकों या डाकघरों के माध्यम से सीधे नकद भुगतान या सरल हस्तांतरण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके।

मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण: ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों, कनीय अभियंताओं और कंप्यूटर ऑपरेटरों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए। उनके मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी संलिप्तता कम हो सके।

सामग्री अंश का समय पर भुगतान: सामग्री मद (मटीरियल कंपोनेंट) में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण पंचायतों में पक्के निर्माण कार्य (जैसे कूप निर्माण, पशु शेड) अधूरे पड़े रहते हैं। वित्तीय प्रवाह को सुचारु बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक पृथक आकस्मिक निधि की स्थापना करनी चाहिए।

कठोर दंडात्मक कार्रवाई: मशीनों के अवैध उपयोग और मस्टर रोल में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों, बिचौलियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

स्वायत्त सामाजिक अंकेक्षण: सामाजिक अंकेक्षण टीमों को पूर्ण प्रशासनिक संरक्षण और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। उनकी रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण द्वारा की जानी चाहिए।

8. निष्कर्ष : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निसंदेह स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण आजीविका पहलों में से एक है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी की दरों को स्थिर करने और संकट के समय (जैसे वैश्विक महामारी के दौरान) प्रवासियों को तात्कालिक संबल प्रदान करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। परंतु, प्रशासनिक अकुशलता, बजटीय अनिश्चितता, तकनीकी जटिलताओं और स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया है।

जमीनी हकीकत को सुधारे बिना केवल डिजिटल उपकरणों (जैसे मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति) को थोप देने से योजना की मूल आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। यदि भारत को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो मनरेगा के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति लचीलापन लाना होगा। राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का समन्वय ही इस कल्याणकारी विधान को वास्तविक रूप से धरातल पर सफल बना सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2024). मनरेगा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2023-24. नई दिल्ली.
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग). (2022). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निष्पादन पर रिपोर्ट. नई दिल्ली.
3. कुमार, पी. (2021). बिहार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की भूमिका. पटना: अकादमिक प्रकाशन.

4. राणा, जी. एस. (2025). ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियां. राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, 12(3), 45-58.
5. योजना आयोग (वर्तमान नीति आयोग). (2019). त्रिवर्षीय कार्ययोजना और ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन रणनीतियां: मनरेगा का मूल्यांकन. भारत सरकार, नई दिल्ली.
6. शर्मा, के. एल. (2020). भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवासन और मौसमी बेरोजगारी: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. राष्ट्रीय राजनैतिक समीक्षा, 28(2), 112-125.
7. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (2018). विकासशील देशों में सार्वजनिक रोजगार गारंटी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा: भारत का विशेष संदर्भ. वैश्विक श्रम प्रतिवेदन, हिंदी संस्करण, जेनेवा.
8. बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग. (2023). बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों (कोशी और मिथिलांचल) में मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण और मजदूरी भुगतान की स्थिति. राज्य सांख्यिकी निदेशालय, पटना, बिहार.
9. द्विवेदी, एस. एन. (2022). विकेंद्रीकृत नियोजन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: 73वां संविधान संशोधन और मनरेगा की प्रशासनिक कार्यक्षमता. लोक प्रशासन और नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली.
10. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर). (2021). मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की स्वायत्तता और जमीनी बाधाएं: एक क्षेत्रीय प्रतिवेदन. हैदराबाद, भारत.
11. मिश्रा, ए. के. (2024). डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण कल्याणकारी योजनाएं: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) की तकनीकी जटिलताओं का श्रमिकों पर प्रभाव. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 34(1), 89-104.
12. संसदीय स्थायी समिति (ग्रामीण विकास). (2023). मनरेगा योजना के तहत कोष आवंटन, बजटीय अनिश्चितता और मजदूरी भुगतान में विलंब की समीक्षा: इक्यावनवां प्रतिवेदन. लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
13. चौधरी, एस. (2020). ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता: मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का एक सांख्यिकीय विश्लेषण. जेंडर और समाज अनुसंधान पत्रिका, 15(4), 201-215.
14. सिंह, एम. पी. एवं यादव, जे. (2022). बिचौलियों की भूमिका और फर्जी जॉब कार्ड: ग्रामीण विकास योजनाओं में प्रशासनिक अकुशलता के कारक. समकालीन राजनैतिक विमर्श, 19(2), 77-92.
15. वर्मा, आर. (2023). मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल परिसंपत्तियों की गुणवत्ता: बिहार के मधेपुरा और सहरसा जिलों पर आधारित एक विशेष केस स्टडी. पर्यावरण और विकास शोध संस्थान, वाराणसी.

•